

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

مشروع تعلم الإسلام - أحكام اليوم الآخر

पाठ - ३ कब्र

الدرس الثالث - هندي
القبر

अनस राजेयल्लाहु अन्हु से उल्लिखित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलौहि वसल्लम ने फरमाया: मैयत को जब कब्र में रखा जाता है और उसके साथी वापस होते हैं तो वह उनकी जूतियों की आवाज सुनता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलौहि वसल्लम ने आगे फरमाया: फिर उसके बाद दो फ़रिषते आते हैं और उसे बिठाते हैं और उससे कहते हैं तुम उस आदमी के बारे में क्या कहते थे? यदि वह व्यक्ति मोमिन होगा तो कहेगा: मैं गवाही देता हूं कि वह अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। फिर उससे कहा जाता है कि जहन्नम में अपनी जगह देख लो, जिसे अल्लाह ने जन्मत की जगह से बदल दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलौहि वसल्लम ने आगे फरमाया: "वह व्यक्ति दोनों जगहों को देखेगा।

यदि मरने वाला व्यक्ति काफिर या मुनाफिक हो तो इस सवाल के जवाब में कहेगा: मुझे नहीं मालूम, मैं लोगों से सुनता था कि वह कुछ कहा करते थे, वही मैं भी कहा करता था। तो उससे कहा जाता है कि न तो तुम्हें मालूम हुआ और न ही तुमने उसे जानने की कोशिश की। उसके बाद उस व्यक्ति के कानों के बीच लोहे की हथौड़ी से मारा जाता है, जिसकी वजह से वह इतनी ज़ोर से चीखता है कि इंसान और जिन्नात के सिवा उसके पास मौजूद सारी मखलूकात इस चीख को सुनती हैं।

कब्र में रुह का शरीर में वापस आना आखिरत के मामलों में से एक है जिसका सांसारिक जीवन में इंसानी अक्ल व शुजर अंदाजा नहीं लगा सकती। तमाम मुसलमान इस बात पर सहमत हैं कि यदि इंसान मोमिन हो और नेमतों का मुरताहिक हो तो उसको कब्र ही में नेमतों से नवाज़ा जाता है और यदि अज़ाब का अधिकारी है तो कब्र में ही अज़ाब से दो-चार हो जाता है। यदि अल्लाह तआला ने उसे माफ किया है। अतएव अल्लाह तआला ने फरमाया है:

النَّارُ يُرْعِضُونَ عَلَيْهَا غُلُوْبًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ قَعْدَةً أَذْخُلُوا آلَ فَرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ [٤٦: ٣٧] [غافر: ٤٦]

यानी, "आग है जिसके सामने यह हर सुबह व शाम लाये जाते हैं और जिस दिन कियामत कायम होगी, फरमान होगा कि फिरौनियों को सख्तातरीन अज़ाब में डालो। (सूरह अल गाफिर आयत 46)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलौहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया है: "तुम लोग कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सही अक्ल इन चीजों का इन्कार नहीं कर सकती है क्योंकि इंसान दुनियावी जिन्दगी में इससे करीबतर चीजों का तजरबा करता है। जैसा कि सोने वाला इंसान महसूस करता है कि उसे सरक्त अज़ाब दिया जा रहा है। वह चिल्लाता है, चीखता है, और मदद चाहता है। जबकि उसके बगल में दुसरा इंसान इस तरह की किसी भी चीजों को महसूस नहीं कर रहा होता है। जबकि मौत और जिन्दगी में बहुत बड़ा अन्तर है। कब्र में अज़ाब शरीर और आत्मा दोनों को होता है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलौहि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया: "कब्र आखिरत की मन्जिलों में से पहली मन्जिल है। यदि इंसान इसमें निजात पा जाए तो उसके बाद की मन्जिलें आसान हो जायेंगी। लेकिन यदि इंसान इसमें निजात नहीं पा सके तो बाद की मन्जिलें उससे सख्त होंगी।

यही कारण है कि एक मुसलमान को कब्र के अज़ाब से कसरत से पनाह मांगने की शिक्षा दी गयी है। विशेष कर नमाज में सलाम फेरने से पहले। और बुराइयों से दूर रहे जो कब्र और जहन्नम में अज़ाब से दो-चार होने का पहला कारण है। इस अज़ाब को अज़ाबे कब्र कहा जाता है, इस वजह से कि अक्सर लोगों को कब्र में दफन कर दिया जाता है, अन्यथा ढूब कर या जल कर मरने वाले को, या उस व्यक्ति को जिसे दरिदों ने खा लिया हो, उनको भी बरज़ख में अज़ाब दिया जाता है। अज़ाबे कब्र में लोहे के हथौड़े से मारा जाता है और उसके सिवा दूसरी तरह से भी अज़ाब दिया जाता है। मिसाल के तौर पर कब्र को तारीकी से भर दिया जाता है। या जहन्नम को आग का बिछौना कर दिया जाता है और उसके लिए जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और उसके अमल को बदसूरत, बदबूदार इंसान की शक्ल व सूरत दे दी जाती है जो उसके साथ कब्र में बैठता है। यदि इंसान काफिर या मुनाफिक हो तो वह इस अज़ाब में बराबर मुबतला रहेगा। लेकिन यदि इंसान मोमिन हो जिससे गुनाह सरजद हुए हों, तो उसके गुनाह के अनुसार उसका अज़ाब अलग-अलग होगा। और उसका अज़ाब समाप्त भी हो जाता है। जहां तक मामला मोमिन का है तो कब्र में उसे नेमतों से नवाज़ा जाता है, उसके कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, कब्र को नूर से भर दिया जाता है और उसके लिए जन्मत का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। जिससे जन्मत की खुशबू और सुगंध आती है और उसके लिए जन्मत का बिछौना कर दिया जाता है और उसके अमल को एक खूबसूरत इंसान की सूरत दे दी जाती है, जिससे वह कब्र में उनसियत हासिल करता है।